



REGIONAL OFFICE



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
email : rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-149/ 3191

Date: 29.03.2022

M/s Shri Akhil Sarada,
D/25, Laxmi Narayan Vihar Colony,
Ajmer Road, Kishangarh, District Ajmer

Sub.:- **Public hearing for Environmental Clearance for Granite cluster mining project, Total Cluster Area 7.8889 Hectare, Total cluster production capacity 1205247 TPA, Village Kachariya Tehsil Kishangarh, District Ajmer applied by M/s Shri Akhil Sarada & Shri Aakash Bohra MI no. 27/2019 Village Kachariya.**

Ref.:- Office of District Collector & District Magistrate, Ajmer letter no.2746 dated 25/03/2022.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before **06/04/2022**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Kachariya, Tehsil Kishangarh, District Ajmer at 11:00 PM on 06/05/2022** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sdr

(Deepak Tanwar)
Environmental Engineer
& Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Additional ^{Dist. Mag.} Magistrate (City) , Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no.2746 dated 25/03/2022.
3. Analyst Cum Programmer, RSPCB, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Dr.
Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



राप्रनिम/क्षेका किश/पीयूबी-149/

एसपीएल-2, पंचम वरन, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अखिल सारड़ा एवं श्री आकाश बोहरा खनन पट्टा संख्या 27/2019 ग्राम काचरिया द्वारा ग्रेनाइट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए
1	श्री अखिल सारड़ा एवं श्री आकाश बोहरा	27/2019	1.3359	काचरिया	ग्रेनाइट	103936 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्रेनाइट 62362 टीपीए
2	श्रीमती इन्द्रा देवी महनोत	02/2018 (पुराना 51/2017)	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	50541
3	श्री दीना राम डूडी	56/2018 (पुराना 10/2018)	1.5215	काचरिया	ग्रेनाइट	236342
4	श्री भूरा राम डूडी	51/2018 (पुराना 05/2018)	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	250000
5	श्री तुलसा राम डूडी	54/2018 (पुराना 08/2018)	1.0	काचरिया	ग्रेनाइट	206002
6	श्री दीना राम डूडी	55/2018 (पुराना 06/2018)	1.0201	काचरिया	ग्रेनाइट	200000
7	श्री दीना राम डूडी	53/2018 (पुराना 07/2018)	1.0114	काचरिया	ग्रेनाइट	200000


कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.8889 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1205247 टीपीए, ग्राम काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री अखिल सारड़ा एवं श्री आकाश बोहरा खनन पट्टा संख्या 27/2019 ग्राम काचरिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2022/2746 दिनांक 25.03.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 06/05/2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, काचरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।


(दीपक तेंवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी